न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 69/2009

उनवान

दिनेशचन्द पुत्र गोपालचन्द कुमावत नि0 श्रीनगर तह0 नसीराबाद
-- वादी :- जरिये अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. मंगल सिंह पुत्र धरम सिंह जाति-रावत नि0 श्रीनगर हाल नि0 पर्बतपुरा (बिस्कुट फैक्ट्री के पास) अजमेर (फौत) जरियें वारिस
1/1. महावीर सिंह
1/2. दुर्गेश सिंह
1/3. अनीता
1/4. कान्ता पि0 मंगल सिंह जाति रावत निवासी रावत मौहल्ला खेडा श्रीनगर
2. विजय सिंह पुत्र बीरम सिंह जाति- रावत नि0 पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह0 नसीराबाद
3. कमला पुत्री बीरम सिंह पत्नी नानू पुत्र श्रीकिशना जाति-रावत नि0 अनेरी तह0 नसीराबाद
4. जय सिंह पुत्र धरम सिंह जाति- रावत नि0 पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह0 नसीराबाद
5. सुनिता पुत्री राम सिंह जाति- रावत नि0 पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह0 नसीराबाद
6. सावर सिंह पुत्र राम सिंह जाति- रावत ना0बा0 जरिये बहिन सुनिता पुत्री राम सिंह जाति- रावत नि0 पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह0 नसीराबाद
7. नौरत सिंह पुत्र धरम सिंह जाति- रावत नि0 पुलिस थाने के पीछे खेडा श्रीनगर तह0 नसीराबाद
8. मोहनलाल पुत्र लादूराम जाति- माली नि0 कुमावत मौहल्ला श्रीनगर तह0 नसीराबाद
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण :- 1 से 8 अनुपस्थित
9 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0 का0 अधि0 1955</u>

-: निर्णय :- दिनांक :- 29/5/17

प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, के न्यायालय से इन निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नवीन निर्णय पारित करे। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीनगर के आराजी

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

ख0न0 3870 (0.18), 3909 (0.42), 3910 (0.20) व 3911 (0.23) की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वादी में वादी ने मूल खातेदार का 1/4 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया था। जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जा चुका है। उक्त आराजी अविभाजित है। अतः वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से का विभाजन वादी के पक्ष में किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब को प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का जवाब माना जावे। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हजारी पुत्र काना ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के पूर्वजों को बैचान कर दी थी। वादी ने धोखाधडी व छल कपट से विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबिज काश्त है जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 2065 प्रस्तुत की जा रही है। मोहनलाल के विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद श्रीमान् सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड में विचाराधीन है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 8 अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में नवीन जवाब/खण्डन नही होने के कारण पूर्व अनुसार ही तनकी कायम रखी गयी :-

1. आया वादी विवादित भूमि जो वाद के मद स. 1 में दर्शायी भूमि का कानूनी विभाजन करवाने का अधिकारी है ?

   -- वादी

2. आया वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वांछित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

   -- वादी

3. आया हजारी पुत्र काना ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के पूर्वजों को बैचान कर दी ?

   -- प्रतिवादी 1 व 2

4. आया वादी व प्रतिवादीगण 1 व 2 विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है ?

   -- प्रतिवादी 1 व 2

5. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 6 राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र प्रस्तुत किये एवं वादी के मौखिक बयान दर्ज कराये।

अधिवक्ता प्रतिवादी 3 से 7 ने पक्षकार से सम्पर्क नही होने के कारण साक्ष्य पेश नही की। प्रकरण विचारण के दौरान उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

प्रदर्श 1 हाल जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 4, 7, 8 वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार दर्ज है। वादी ने उक्त आराजी हजारी पि0 काना के वारिसों से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी। हजारी पि0 काना का उक्त आराजी

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पर 1/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी 8 ने उक्त आराजी में से बीरम व राम सिंह प्रत्येक का 3/20 हिस्सा क्रय किया था। वादी व प्रतिवादी 8 का विक्रय पत्र आदिनांक तक निरस्त नही हुआ है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही है किन्तु सहखातेदारी की आराजी पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। पत्रावली पुनः रिमाण्ड होने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा कोई नवीन जवाब व साक्ष्य पेश नही किये है। वादी रेकाडेर्ड सह खातेदार है। जिसका अंकन जमाबंदी में हो चुका है। प्रतिवादी का स्व0 हजारी के हिस्से की आराजी पर क्या हक व अधिकार है यह तथ्य वे सिद्व नही हर पाये है। वादी सह खातेदार होने से वादी विभाजन करवाने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 :–

वादी वादग्रस्त आराजी पर सह खातेदार होने से विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही होने से वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। किन्तु सहखातेदारी आराजी पर प्रत्येक हिस्से पर प्रत्ये सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी सिद्व होती है।

तनकी संख्या 3 व 4 :–

प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि हजारी पुत्र कानाः ने अपने हिस्से की भूमि उनको विक्रय कर दी थी। किन्तु इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई विक्रय पत्र या लिखत पेश नही की है। ना ही उनके द्वारा वादी के विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिये काई कार्यवाही की गयी है। अपने जवाब के कथनों को सिद्व करने का दायित्व प्रतिवादी पर होने के बावजुद उन्होने प्रकरण में लिखित दस्तावेज पेश नही किये है जो उनके कथन की ताइद करती हो। लिखित दस्तावेज के अभाव में मौखिक साक्ष्य सत्य नही माने जा सकते। साथ ही वादी ने अपने वाद के समस्त कथन व तथ्य लिखित व मौखिक साक्ष्य से सिद्व किये है। प्रतिवादी 1 व 2 या उनके पूर्वज हजारी पुत्र काना के हिस्से की भूमि के क्रेता सिद्व नही होते है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सिद्व होती है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 3870 (0.18), 3909 (0.42), 3910 (0.20) व 3911 (0.23) की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व सह खातेदार के मध्य उक्त आराजी का विधिवत व हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

दिनेश बनाम मंगल

दावा बाबत :– 53, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 69/2009
पेश करने की दिनांक – 16.11.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई अभिभाषक राज0 पैराकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 3870 (0.18), 3909 (0.42), 3910 (0.20) व 3911 (0.23) की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व सह खातेदार के मध्य उक्त आराजी का विधिवत व हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बावत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद